



दि नैनीताल बैंक लि.

शाखा : रामनगर रोड़, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) फोन-05947-274060, ई-मेल : kashipur@nainitalbank.co.in

ई-नीलामी सूचना

सरकाएसी अधिनियम 2002 के तहत ऑनलाइन ई-नीलामी माध्यम से आस्तियों की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द नैनीताल बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों मैसर्स बाबा अजीत सिंह इण्डस्ट्रीज तथा जमानतियों 1. श्रीमती नीरजा अरोड़ा उर्फ नीरज अरोड़ा उर्फ स्वीटी अरोड़ा पत्नी जगदीश कुमार, 2. श्रीमती हरवंत कौर पत्नी निसान सिंह 3. निर्मल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, 4. श्री कश्मीर लाल पुत्र देशराज से 16.05.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 4,59,19,175.47 (रुपये चार करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार एक सौ पचहत्तर एवं पैसे सैंतालिस मात्र) तथा 16.05.2019 से भावी ब्याज तथा प्रतिभूत आस्तियों की सुरक्षा पर हुए अन्य व्ययों का कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए 16.05.2019 को एक माँग सूचना जारी की थी। जबकि कर्जदार कथित माँग सूचना में माँगी गयी राशि का बैंक को पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, अतः बैंक ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री के अधिकार सहित यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 29.07.2019 भौतिक कब्जा कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोलिखित सम्पत्ति(यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा नैनीताल बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री भावी ब्याज, लागत तथा व्ययों सहित नीचे तालिका में वर्णित राशि के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड अर्थात प्रतिभूत लेनदार के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वहीं है" तथा "उपचार रहित" आधार पर की जायेगी। एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी संचालित करने जा रहे हैं।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम तथा पता	सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि तथा कुल बकाया, वसूली को घटाकर, यदि कोई हो	आरक्षित मूल्य	कब्जे की स्थिति	ईएमडी/बिड राशि जमा करने हेतु खाता संख्या	ईएमडी जमा करने की तिथि व समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय
			ईएमडी				
1. मैसर्स बाबा अजीत सिंह इण्डस्ट्रीज, कार्यालय पता : ग्राम हल्दुआ साहु, काशीपुर रोड़, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।	बंधक अचल सम्पत्ति जो कि खसरा नं. 656 मिन, ग्राम बैलजुडी, बाके मोहल्ला पक्काकोट, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रफल 278.81 वर्ग मीटर या 3000.00 वर्ग फीट। सम्पत्ति उप निबन्धक काशीपुर के कार्यालय में बही नं. 1, इलेक्ट्रॉस्टेट जिल्द नं. 2403, पेज नं. 227 से 240, क्रमांक 1432, दिनांक 02.02.2011 को श्री जगदीश कुमार पुत्र हंसराज के नाम पर दर्ज है। सीमाएँ - पूरब में 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में विष्ट जी की सम्पत्ति, उत्तर में वरियम सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण में 12 फीट चौड़ी सड़क।	16.05.2019 29.07.2019	₹ 22,50,000/- (रु. बाईस लाख पचास हजार केवल)	भौतिक	खाता संख्या : 006 9002 आईएफएससी कोड : NTBL0KAS006 अथवा दि नैनीताल बैंक लि० के नाम से एवं काशीपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक की काशीपुर शाखा में जमा किया जाये	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 22.03.2021 सायं 04:00 बजे तक	ई-नीलामी की तिथि व समय 20.03.2021 10.00 AM to 03.00 PM
2. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री हंसराज (प्रोपराईटर), निवासी : ग्राम हल्दुआ साहु, काशीपुर रोड़, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।	₹ 3,98,04,918.47 (रुपये तीन करोड़ अठानवे लाख चार हजार नौ सौ अठारह एवं पैसे सैंतालिस मात्र) एवं ब्याज तथा अन्य खर्च	₹ 2,25,000/- (रु. दो लाख पच्चीस हजार केवल)	₹ 25,000/- (रु. पच्चीस हजार केवल)			ई-नीलामी : 23.03.2021 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	
3. श्रीमती नीरजा अरोड़ा उर्फ नीरज अरोड़ा उर्फ स्वीटी अरोड़ा पत्नी श्री जगदीश कुमार (जमानती), निवासी : ग्राम हल्दुआ साहु, काशीपुर रोड़, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।							
4. श्रीमती हरवंत कौर पत्नी श्री निसान सिंह, (जमानती) निवासी : ग्राम हल्दुआ साहु, काशीपुर रोड़, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।							
5. श्री निर्मल सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह, (जमानती), निवासी : ग्राम हल्दुआ साहु, काशीपुर रोड़, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।							
6. श्री कश्मीर लाल पुत्र देश राज, (जमानती), निवासी : ग्राम हल्दुआ साहु, भवानीपुर, तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर।							

ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए नियम एवं शर्तों सहित अधिक विवरण के लिए इच्छुक सभी भागीदारों/बोलीदाताओं से वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontiger.net> तथा www.nainitalbank.co.in (बैंक की साइट) देखने का निवेदन किया जाता है और अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों, ई-नीलामी में भाग लेने की प्रक्रिय के लिए बैंक के सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री चिन्तन भट्ट, सम्पर्क नम्बर 9978591888 तथा ई-मेल : chintan.bhatt@auctiontiger.net पर सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2020 के तहत कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता के लिए सांविधिक 15 दिवसीय बिक्री सूचना है।

स्थान : काशीपुर, उधमसिंह नगर

दिनांक : 04.03.2021

प्राधिकृत अधिकारी, दि नैनीताल बैंक लिमिटेड